न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 14 / 2010

प्रार्थीगण :–

तेजाराम पुत्र स्व0 पोकरराम, जाति माली निवासी सोजतसिटी, तहसील–सोजत, जिला–पाली राजस्थान वगैरह

[illegible]ाल पुत्र स्व पोकरराम

3 हिरालाल पुत्र स्व पोकरराम

4 सोहनलाल पुत्र स्व पोकरराम

5 केवल चन्द पुत्र पोकरराम तमाम जातियान माली निवासीगण सोजतसिटी जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1.	दीपा पुत्र कल्ला, जाति माली के कायम
1/1	मुकामः– गोपाराम पुत्र दीपा जाति माली नि मालिया का बडा बास सोजत
1/2	गीदाराम पुत्र दीपा फौत के कायम मुकामः–
1/2/1	भंवरी देवी पत्नि गीदाराम
1/2/2	भोमराराम
1/2/3	मीठालाल
1/2/4	मोहनलाल
1/2/5	कमली देवी
1/2/6	विद्यादेवी पिसरान गीदाराम जातियान माली निवासी बेरा नोकडा सोजतसिटी।
1/3	मिश्रीलाल पुत्र दीपराम फौत के कायम मुकामः–
1/3/1	लक्ष्मणराम
1/3/2	भंवरलाल
1/3/3	गौराराम पिसरान मिश्रीलाल जाति माली नि0 मालियो का बडा बास सोजतसिटी।
1/3/4	सतिया पुत्री मिश्रीलाल पत्नि देवाराम
1/3/5	चपुडी पुत्री मिश्रीलाल जाति माली नि0 मसानिया नोकडा सोजतसिटी।
1/4	रामलाल पुत्र दीपा जाति निवासी नोकडा सोजतसिटी जिला पाली।
2.	गेरी देवी पत्नि मांगीलाल घांची निवासी मेलाववालो का आंट सोजतसिटी।
3.	उकिया देवी पत्नि गणपतलाल
4.	इन्द्रा देवी पत्नि राजाराम निवासी सोजतसिटी।
5.	भीकी देवी पत्नि मिश्रीलाल जाति घांची निवासी जोधपुरिया गेट के बाहर सोजतसिटी।
6.	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी

1. श्री देवेन्द्र कुमार व्यास अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 25.08.2020

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सोजत चक–1 मे रिवाईज सैटलमेंट के पूर्व सम्वत् 2012 से 2015 की जमाबंदी मे खसरा नम्बर 84, 99, 99/1, 99/1/1, 99/1/2, 103, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, कुल किता खसरा 13 कुल रकबा 1538 बीघा 18 बीस्वा सैटलमेंट के दौरान उपरोक्त पुराने खसरा की कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर कायम किये गये जो खाता संख्या 1896 खसरा नम्बरान 543, 544, 545, 546, 547, 548, कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.3800 हैक्टर, खाता संख्या 1897 खसरा नम्बर 339, 365, 366, 368, 416, 468, 469, 470 कुल खसरा 09 कुल रकबा 21.5800 हैक्टर, खाता संख्या 637 ख0नं0 276, 445, 446 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.8200 हैक्टर, खाता संख्या 657 खसरा नम्बर 270, 287, 349, 421, 457, 462 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.61 हैक्टर, खाता संख्या 1301 खसरा नम्बर 437 रकबा 0.8400 हैक्टर, खाता संख्या 1716 खसरा नम्बर 270/1, 288, 350, 430, 457/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.3200 हैक्टर, खाता संख्या 220 खसरा नम्बर 283, 284, 340, 344, 422, 455, 460 कुल खसरा 07, कुल रकबा 6.57 हैक्टर, खाता संख्या 226 खसरा नम्बर 267, 424, 429 कुल खसरा 03, कुल रकबा 2.82 हैक्टर, खाता संख्या 227 खसरा न0 447, 448 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.86 हैक्टर, खाता संख्या 327 ख0न0 268, 286 419, 433 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.98 हैक्टर, खाता संख्या 459 ख0न0 271, 272, 289, 290, 341 से 344, 454, 463 कुल खसरा 10 कुल रकबा 9.91 हैक्टर, खाता संख्या 775 ख0न0 280, 282, 347, 348, 441, 442, 458, 464 कुल खसरा 08 कुल रकबा 7.32 है0 खाता संख्या 1359 खसरा संख्या 275, 427 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.02 है0, खाता संख्या 1651 खसरा संख्या 345, 346, 450, 451, 459, 465 कुल खसरा 06 कुल रकबा 6.59 है0, खाता संख्या 1711 कुल रकबा 269, 291, 449, 452, 453 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.17 है0, खाता संख्या 1712 खसरा संख्या 418, 434 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7400 है0, खाता संख्या 1903 खसरा 277, 285 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.45 है0, खाता संख्या 1905 खसरा संख्या 278, 351, 352, 461 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.74 है0, खाता संख्या 776 खसरा सं0 266, 428, 432 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.72 है0, खाता संख्या 1464 खसरा स0 417, 435 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.68 है0 खाता संख्या 1570 ख0स0 420 रकबा 0.95 है0, खाता संख्या 1652 खसरा सं0 431 रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 1490 ख0स0 426, 439 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.76 है0, खाता संख्या 1236 ख0न0 279, 425, 438 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.80 है0 खाता स0 827 खसरा न0 440 रकबा 0.97 है0, खाता संख्या 66 ख0न0 374, 375 कुल रकबा 1.88 है0, खाता सं0 110 ख0न0 358 रकबा 2.46 है0, खाता सं0 224 ख0न0 397, 398, 399, 412, 413, 414, 472, 473, 556, 562, 568 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13.10 है0, खाता सं0 230 ख0स0 403, 404, 405, 479 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.52 है0, खाता सं0 234 ख0स0 471, 558, 559, 560, 570, 571, 572, 573, 599 कुल खसरा 09 कुल रकबा 03 है0 खाता सं0 235 ख0स0 381, 382, 383, 384, 415, 480, 481, 549, 551, 561, 569 कुल खसरा 11 कुल रकबा 14.6 है0 खाता सं0 570 ख0स0 376 रकबा 1.95 है0, खाता सं0 578 खसरा सं0 373 रकबा 2.15 है0, खाता सं0 869 ख0स0 392, 393, 396, 406, 407, 408, 476, 477, 555, 563, 567 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13 है0, खाता सं0 936 ख0स0 370, 372 कुल ख0 02 कुल रकबा 2.18 है0 खाता सं0 957 ख0स0 387, 388, 389, 390, 409, 410, 411, 478, 554, 564, 566 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.98 है0, खाता स0 1872 ख0स0 385, 386, 552, 557 कुल खसरा 04 कुल रकबा 6.17 है0, खाता स0 236 ख0नं0 354 रकबा 2.51 है0 खाता सं0 603 ख0स0 394, 395 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.36 है0, खाता सं0 868 ख0स0 355 रकबा 2.55 है0, खाता स0 1281 खसरा 353 रकबा 1.73 है0, खाता सं0 1298 ख0स0 357 रकबा 2.27 है0, खाता स0 1440 ख0स0 356 रकबा 2.46 है0, खाता सं0 1507 ख0स0 391, 394/1, 400,

...01, 402, 474, 475, 553, 565 कुल खसरा 09 कुल रकबा 12.72 है0, खाता सं0 1834 ख0स0 353/1, 377, 378, 379, 380, 597 कुल खसरा 06 कुल रकबा 5.306 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त विवरणानुसार सैटलमेंट के पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार उक्त आराजीयात की भूमि 1538 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजसुदा दर्ज थी। जो सैटलमेंट के पूर्व जमाबंदी में 1518 बीघा 12 बिस्वा दर्जसुदा है। उक्त आराजीयात की भूमि में प्रार्थीगण के पिता पोकर पुत्र हरजी का 1/24वां हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपना आधा हिस्सा विक्रय कर देने से जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 में 1/48 वां हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। इस प्रकार सैटलमेंट के पूर्व वर्णित भूमि में 32.06 बीघा भूमि हक हकूक खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की है। जिस पर सैटलमेंट के पूर्व व पश्चात् प्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल तक प्रार्थीगण के पिता का एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण का कब्जाकास्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व अन्य अप्रार्थीगण के पूर्वज व उनके प्रिंसिपल विक्रेता द्वारा मुसम्मी कुनालाल पुत्र जगनाथ कौम सोनार से संयुक्त रूप से दिनांक 28 जून ...5 को जरिए रजिस्ट्री बेचान खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त खरीद अनुसार प्रार्थीगण के पिता ने सम्पूर्ण आराजीयात का 1/24वां हिस्सा खरीद किया। जिस अनुसार आधा हल यानि करीब 65 बीघा भूमि कब्जा काश्त की थी। प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का आधा हिस्सा केसाराम पुत्र माणक, लक्ष्मण, पेमाराम, प्रकाश, गणपत पिसरान केसाराम को विक्रय कर देने से उनका 1/48 वां हिस्सा व प्रार्थीगण के पिता का 1/48 वां हिस्सा तथा सम्वत् 2026–29 में भूमि 1539 की बजाय 1518 बीघा 12 बिस्वा हो जाने से उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/48 वां हिस्सा यानि 32.06 बीघा हक हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त की रही। मौके पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारी ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार प्रविष्टि व हिस्सों को रिपिड न करते हुए एवं अधिकार क्षेत्र के परे जाकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को मनमाना व विधि विरूद्ध रूप से जो सैटलमेंट के समय नये नम्बर कायम किये गये। उसमें खसरा मिलान के आगे पर्चा तस्दीक का नोट अंकित करते हुए मनमाने व विधि विरूद्ध रूप से खातेदारान के अलग–अलग खातें में दर्ज कर दी गई तथा हिस्से अनुसार रकबा दर्ज न कर मनमाना रूप से भूमि दर्ज कर दी गई, जिसका सैटलमेंट अधिकारी को कोई अधिकार प्राप्त नही था। क्योकि पक्षकारान के मध्य विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ था। जिससे सैटलमेंट अधिकारी को सैटलमेंट के पूर्व जमाबंदी एवं हिस्से अनुसार ही संयुक्त हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि दर्ज करनी चाहिए थी। जिससे सैटलमेंट अधिकारी द्वारा किये गये तमाम इन्द्राज प्रार्थीगण के अधिकारों के बेअसर व शून्य है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारी ने खाता संख्या 1896 में उपरोक्त विवरण अनुसार खसरा नम्बरान 543, 544, 545, 546, 547, 548, कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.3800 हैक्टर, खाता संख्या 1897 खसरा नम्बर 339, 365, 366, 368, 416, 468, 469, 470 कुल खसरा 09 कुल रकबा 21.5800 हैक्टर है। उक्त दोनों खाते वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 01 से 28 व उनके प्रिसिंपल विकेताओं के संयुक्त रूप से दर्ज किये गये है। इन दोनो खातो का योग 30.96 है0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये है। खतोनी संख्या 637 के अनुसार ख0न0 276 रकबा 0.91 है0, ख0स0 445 रकबा 1.17 है0 खसरा 446 रकबा 0.74 है0 कुल खसरा 09 कुल रकबा 2.82 है0 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या एक के खाते में ख0न0 270, 287, 349, 421, 457, 462 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.61 है0 दर्ज किये गये है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा केसाराम वगेरह को विक्रय की गई भूमि के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में सालगराम पुत्र कानाराम दर्ज हुआ जिसके उपरोक्त वर्णित संयुक्त दोनो खाते में इन्द्राज के अलावा खसरा संख्या 270/1, 288, 350, 430, 457/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.32 है0 भूमि दर्ज की गई है। उक्त सालगराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया है तथा राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 02 का अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार सैटलमेंट अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर प्रार्थीगण एवं तमाम अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विधिक बंटवाड़ा हुए बिना मनमाना व विधि विरूद्ध रूप से कुछ भूमि संयुक्त खातों में और कुछ भूमि पृथक–पृथक खातों में दर्ज कर दी है, जिससे प्रार्थीगण का 1/48 वां हिस्से की भूमि में जो 32.05 बिघा की बजाय संयुक्त खाते की 1/12 वां हिस्सा 2.58 है0 व खाता संख्या 637 रकबा 2.82 है0 का 1/2 हिस्सा यानि 1.41 हैक्टर कुल 3.99 है0 भूमि ही दर्ज की है जो 25 बिघा से भी कम दर्ज हुई है। यानि 07 बिघा से भी

धिक भूमि प्रार्थीगण के खाते मे कम दर्ज कर दी गई है। जो भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एवं अप्रार्थी सख्या 02 के खाते में विधि विरूद्ध रूप से मिला दी गई है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजीयात जो पद संख्या एक मे सैटलमेंट के पूर्व के ख0न0 में अपना 1/48 वां हिस्सा तथा सैटलमेंट के पश्चात् जो रकबे व खसरे बने उसमें 5.12 है0 भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर उक्त रकबे अनुसार खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य अप्रार्थीगण के हिस्सों में सैटलमेंट अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र के परे जाकर तथा विधिक बंटवाडा हुए बिना जो खातेदारियां मनमाने रूप से दर्ज की गई है, उक्त तमाम इन्दाज प्रार्थीगण के हिस्से तक बेअसर व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 02 ने वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के अनुसार जो बेनामी हस्तान्तरण के जरिए खरीद कर राजस्व रेकर्ड अमल दरामद करवाये गये है, उक्त तमाम अमल दरामद प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। उक्त अप्रार्थीगण के प्रिंसिपल विक्रेता के हिस्से तक ही उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है परन्तु बेनामी हस्तान्तरण होने से अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए है, जिससे तमाम इन्द्राज प्रार्थीगण के अधिकारों के बेअसर व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के खाते में व अप्रार्थी संख्या 02 के खाते में व अन्य अप्रार्थीगण के हिस्से में गलत इन्द्राज होने से तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 एवं अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्से में गलत इन्द्राज की वजह से अप्रार्थीगण माफिक इन्द्राज वादग्रस्त भूमि का बेंचान बख्शीश एवं हक्तर्क एवं हस्तान्तरण करने को आमादा है। यदि वादग्रस्त भूमि का गलत इन्द्राज अनुसार हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा पक्षकारान के मध्य मुकदमे बाजी बढेगी एवं पक्षकारो को खर्चे हर्जे से जैर बार होना पड़ेगा एवं प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। जिससे प्रार्थीगण अपने हिस्से जो कि सैटलमेंट के पूर्व व पश्चात 32.05 बिघा भूमि में काबिज काश्त है। उक्त भूमि को गलत इन्द्राज से अप्रार्थीगण को बेचान या अन्य किसी प्रकार के हस्तान्तरण से तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल से प्रार्थीगण रूकवाने के अधिकारी है। अतः यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण सम्वत् 2012 से वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है। मात्र सैटलमेंट की त्रुटि से एवं उक्त अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्टियां की है वो प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को विधि विरूद्ध हस्तान्तरण करने से नही रोका जाता है, तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों मे नहीं आंका जा सकेगा एवं प्रार्थीगण को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख0न0 543 रकबा 0.64, 544 रकबा 0.46, 545 रकबा 8.07, 546 रकबा 0.02, 547 रकबा 0.08, 548 रकबा 0.11, 339 रकबा 3.29, 365 रकबा 0.53, 470 रकबा 6.14, 276 रकबा 0.91, 445 रकबा 1.17, 446 रकबा 0.74, 270 रकबा 0.52, 287 रकबा 0.30, 349 रकबा 0.68, 421 रकबा 0.97, 457 रकबा 0.88, 462 रकबा 1.26, 270/1 रकबा 0.52, 288 रकबा 0.26, 350 रकबा 0.77, 430 रकबा 0.90, 457/1 रकबा 0.87 एवं पद संख्या 02 में वर्णित तमाम भूमि का अप्रार्थीगण बेचान बख्शीश, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न तो स्वयं करे ना ही अपने नौकर एजेन्ट इत्यादि से करावे तथा मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे एवं ना ही अन्य से करावें, रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थीगण सं0 1/1 से 1/4 को बावजूद तामिली/सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 08.03.2010 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 गैरी देवी पत्नी मांगीलाल घांची निवासी मेलावालों का आट सोजतसिटी 3 उकीया देवी पत्नी गणपतलाल बोराणा बिलाडिया गेट के बाहर सोजतसिटी 4 इन्द्रा देवी पत्नि राजाराम बिलाडिया गेट के बाहर सोजतसिटी 5 भीकी देवी पत्नि मिश्रीलाल जोधपुरिया गेट के बाहर सोजतसिटी के ओर से पेश किया है कि प्रार्थीगण ने बअनवान व प्रकरण का एक राजस्व मूल वाद बिना ठोस आधारो दस्तावेजो के आधार में न्यायालय हाजा में पेश किया कि जिसमे प्रार्थीगण को कोई सफलता प्राप्त नही होगी एवं न ही सफल होगे। प्रार्थीगण का लिखना सही है कि सैटलमेंट के पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 की जमाबंदी में खसरान दर्शाये जो सही है। सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा की नई जमाबंदी कायम की गई जो सही है प्रार्थीगण का यह लिखना भी सही है कि उक्त आराजीयात भूमि में प्रार्थीगण के पिता पोकर पुत्र हरजी का 1/24वां हिस्सा हक, हकूक खातेदारी

का आता है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी सही है कि अपना आधा हिस्सा विक्रय कर देने से जमावंदी सम्वत् 2026 से 2029 में 1/48 वां हिस्सा हक, हकूक खातेदारी का आता है। वादरथ भूमि प्रार्थीगण के पिता ने व अन्य अप्रार्थीगण के पूर्वज व उनके प्रिंसिपल विक्रेता मुसम्मी कुन्नालाल पुत्र जगनाथ कौम सोनार से संयुक्त रूप से दिनांक 28 जून 1955 को जरिए रजिस्टर्ड बेचान खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जानकारी के अभाव मे इन्कार है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि सम्पूर्ण आराजीयात का 1/24 वां हिस्सा अनुसार आधा हक यानि 65 बीघा भूमि कब्जा काश्त की थी, जमावंदी अनुसार सही है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का आधा हिस्सा केसाराम पुत्र माणक, लक्ष्मण, पेमाराम, प्रकाश, गणपत पिसरान केसाराम को विक्रय कर देने से उनका 1/48 वां हिस्सां में प्रार्थीगण के पिता का 1/48 वां हिस्सा सही है। जो आधा हिस्सा केसाराम वगैरह द्वारा सालगराम पुत्र कानाराम को बेचाण किया गया। सालगराम पुत्र कानाराम द्वारा उक्त 1/48 वां हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए विक्रय विलेख बेचान किया। जो विक्रय विलेख दिनांक 04.12.2007 को अप्रार्थी सं0 2 उक्त कृषि भूमि पर आज भी उक्त हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जो प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक दो में वर्णित खाता संख्या 1896, 1897 एवं 1716 की कृषि भूमि में नामान्तरकरण संख्या क्रमांक 2424 एवं 2425 दिनांक 07.01.2008 के जरिए अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति गेरी देवी को राजस्व रेकर्ड में वतौर खातेदार इन्द्राज किया गया, जो आज भी है। सैटलमेंट अधिकारी ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार अप्रार्थीगण व हिस्सेदार को रिपिड न करते हुए एवं अधिकार क्षेत्र के परे जाकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को मनमाना व विधि विरूद्ध रूप से जो सैटलमेंट के समय नये नम्बर कायम किये गये उसमें खसरा मिलान के आगे पर्चा तस्दीक का नोट अंकित करते हुए मनमाने व विधि विरूद्ध रूप से खातेदारान के अलग अलग खाते में दर्ज कर दी गई सर्वथा गलत है। बल्कि पक्षकारो द्वारा सैटलमेंट के पूर्व से अपने अपने हिस्से पर काविज काश्त होने से उसी अनुरूप खातेदारी दर्ज की गई तथा हिस्से अनुसार रकबा न कर मनमाना रूप से भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि सैटलमेंट अधिकारी ने पक्षकारों के हिस्से अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार अलग अलग खातों में दर्ज की। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि पक्षकारों के मध्य विधिक बंटवाडा नही हुआ था बल्कि पक्षकारो के मध्य सैटलमेंट के पूर्व से मौके पर काबिज काश्त अनुसार आपसी सहमति से बंटवाडा हो रखा था एवं उसी आपसी सहमति के बंटवाडा अनुसार पक्षकारगण मौके पर निरंतर विना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उसी काबिज काश्त अनुसार अलग से पर्चा लगान भी कायम किये गये। सैटलमेंट अधिकारी को सैटलमेंट के पूर्व जमाबंदी एवं हिस्से अनुसार ही संयुक्त हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि दर्ज करनी चाहिए थी, बल्कि सैटलमेंट अधिकारी ने पक्षकारों को आपसी सहमति से पर्चा लगान कायम कर जमाबंदी एवं हिस्से कब्जा अनुसार भूमि दर्ज की है। सेटलमेंट अधिकारी ने खाता संख्या 1896 एवं 1897 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के सहमति अनुसार दर्ज किये थें। प्रार्थीगण का यह लिखना सही है कि दोनो खातों का योग 30.96 है0, राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा केसाराम वगैरा को विक्रय की गई भूमि के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में सालगराम पुत्र कानाराम दर्ज हुआ लिखना सरासर गलत है। बल्कि सालगराम पुत्र कानाराम ने केसाराम वगैरा में उक्त भूमि का 1/48 वां हिस्सा खरीद किया है, जो हिस्सा प्रार्थीगण के पिता द्वारा 1/48 वां हिस्सा बेचाण किया गया। उसी अनुरूप अप्रार्थी संख्या 2 अपने प्रिसिंपल विक्रेता के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि संयुक्त दोनो खातों में इन्द्राज के अलावा खसरा संख्या 270/1, 288, 350, 430, 457/1 कुल खसरा 5 कुल रकबा 3.23 है0 भूमि दर्ज की गई है जो सही है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता द्वारा केसाराम वगैरह को बेचाण करने से केसाराम द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रिसिंपल विक्रेता सालगराम द्वारा सम्वत 2030 से 2033 को खरीद करने व राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज होने के वाद सालगराम ने अप्रार्थी संख्या 2 गेरी देवी को जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 04.12.2007 को बेचान नामे (2) दो के जरिए खातेदारी हक, हकूक हस्तांतरण कर देने से जरिए नामान्तरण संख्या 2424 एवं 2425 दिनांक 07.01.2008 से अप्रार्थी संख्या 2 को बिलकुल सही खातेदारी इन्द्राज किया गया है। उक्त भूमि खरीद करने से अप्रार्थी संख्या 2 हक, हकूक की है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि सैटलमेंट अधिकारी ने संयुक्त खातेदारी की भूमि को विधिक बंटवाडा हुए बिना मनमाना व विधि विरूद्ध रूप से कुछ भूमि संयुक्त खातों में और कुछ भूमि पृथक पृथक खातों मे दर्ज कर दी है। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा अपना 1/48 वां बेचान करने से अप्रार्थी संख्या 2 के प्रिसिंपल विक्रेता केसाराम वगैरा द्वारा बेचान करने से सालगराम पुत्र कानाराम के खरीद करने से उक्त भूमि दर्ज की गई है। प्रार्थीगण का यह

लिखना गलत है कि संयुक्त खाते की 1/12 वां हिस्सा 2.58 है0 का 1/2 हिस्सा यानि 1.41 है0 कुल 3.99 है0 भूमि ही दर्ज की है। जो 25 बीघा से भी कम दर्ज हुई है यानि 7 बीघा से भी अधिक कम भूमि प्रार्थीगण के खाते मे कम दर्ज कर दी गई है। बल्कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा केसाराम वगैरह को अपना 1/48 वां हिस्सा बेचाण करने से अप्रार्थी सं0 2 का हिस्सा उक्त अनुसार 7 बीघा कम दर्ज होने से अप्रार्थीगण हिस्से से भी 1/48 वां हिस्सा में कम 7 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि अप्रार्थीगण सं0 1 एवं अप्रार्थीगण सं0 2 के खाते में विधि विरूद्ध से मिला दी गई है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी सर्वथा गलत है कि संयुक्त खाते में अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 के इन्द्राज विधि विरूद्ध हुए है जो बेनामी हस्तान्तरण है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 से 5 ने जरिए रजिस्टर्ड बेचान क्रमशः दिनांक 04.12.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 गेरी देवी ने जरिए म्यूटेशन क्रमांक 2424 एवं 2425 दिनांक 07.01.2008 व जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 12.11.2007 व दिनांक 24.12.2009 को अप्रार्थी संख्या 3 उकीया देवी ने जरिए म्यूटेशन क्रमांक क्रमशः 2410, 2411 व 2869 दिनांक 21.11.2007 व दिनांक 01.01.2010 से व जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 17.10.2007 को अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी ने जरिए म्यूटेशन क्रमांक क्रमशः 2408 व 2409 दिनांक 21.11.2007 एवं जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 05.12.2007 को अप्रार्थी संख्या 5 भीकी देवी ने जरिए म्यूटेशन क्रमांक 2431 व 2432 दिनांक 07.01.2008 जरिए रजिस्टर्ड बेचान से उक्त कृषि भूमि खरीद की है, जो बेनामी हस्तान्तरण कहना कानूनन खिलाफ है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि सम्पूर्ण आराजीयात में अपना 1/48 वां हिस्सा तथा सेटलमेंट के पूर्व व पश्चात् जो रकबे व खसरे बने है उसमे अपना 5.12 हैक्टर भूमि का राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद कर उक्त अनुसार खातेदारी घोषित करने का अधिकारी है। बल्कि प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थीगण की वास्तविक रूप से भूमि पद स0 2 में बने नये खसरा नम्बरान अनुसार किस खाते में मिला दी गई है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण रकबे अनुसार खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। पद सं0 5 गलत होने से अस्वीकार नही है। पद संख्या 6 के जबाब में अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के हिस्से में सैटलमेंट अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र के परे जाकर तथा विधिक बंटवाडा हुए बिना जो खातेदारियों मनमानें रूप से दर्ज की गई है। उक्त तमाम इन्द्राज प्रार्थीगण के हिस्से तक बेअसर व शून्य है लिखना सर्वथा गलत है। जवकि प्रार्थीगण का हिस्सा सैटलमेट अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण के पिता द्वारा या अपने प्रिसिंपल विक्रेता द्वारा पक्षकारों के आपसी सहमति से रकबे दर्ज हुए है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि अप्रार्थी सं0 2 व 3 से 5 ने वादग्रस्त भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के अनुसार जो बेनामी हस्तान्तरण का कहने का कोई कानूनी अधिकार नही है। मात्र अप्रार्थी सं0 2 व 3 से 5 को हैरान व परेशान करने की नियत से व अवैध रूप से भूमि हड़पने व ब्लैकमेलिंग करने की नियत से बेनामी हस्तान्तरण बताया है। जिसका जबाब प्रार्थना पत्र पद संख्या 5 में विस्तृत रूप से दिया गया है। प्रार्थीगण के प्रिसिंपल विक्रेता के हिस्से तक ही उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है बल्कि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि कम होने से अप्रार्थीगण को भी उतना ही अधिकार है जितना प्रार्थीगण को है। जो अप्रार्थीगण स0 2 व 3 से 5 प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि बेनामी हस्तान्तरण होने से अप्रार्थी सं0 2 से 5 को उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नही हुए है जिससे तमाम इन्द्राज प्रार्थीगण के अधिकारों के बेअसर व शून्य है, लिखना सर्वथा गलत एवं मनगढत व मिथ्या है मात्र प्रार्थीगण के कहने से किसी खातेदारी अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता है। प्रार्थीगण को बेनामी हस्तान्तरण की परिभाषा भी मालूम नही है कि बेनामी हस्तान्तरण किसे कहा जाता है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 के रजिस्टर्ड बेचाननामा बिलकुल सही है। बेनामी बेचाननामा नही है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी हक हकूको व बेचाननामा को किसी भी रूप में चैलेन्ज नही किया जा सकता है। अप्रार्थी सं0 1 के खाते में व अप्रार्थी सं0 2 के खाते मे व अन्य अप्रार्थीगण के हिस्से में गलत इन्द्राज होने से तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं0 1 एवं अप्रार्थीगण स0 2 के हिस्से में गलत इन्द्राज की वजह से अप्रार्थीगण माफिक इन्द्राज वादग्रस्त भूमि को बेचान वख्शीश एवं हकतर्क एवं हस्तान्तरण करने को आमादा है लिखना सर्वथा गलत है। फिर भी खातेदारों को अपने स्वतंत्र हक हकूको को हस्तान्तरण करने का अधिकार है, जिसमें प्रार्थीगण कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि वादग्रस्त भूमि का गलत इन्द्राज अनुसार हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अप्रार्थीगण स0 2 के हस्तान्तरण, बेचान, वक्शीश, हकतर्क से प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई असर नही पडेगा। अप्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अप्राथीगण के हिस्से अनुसार ही बेचान, बक्शीश,

उप खण्ड अधिकारी

...तर्क होने से अप्रार्थीगण का कोई मकसद समाप्त नही होगा न कोई मुकदमेबाजी बढेगी लिखना सर्वथा ...लत है। यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों ... नही आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह लिखना कि प्रार्थीगण अपने हिस्से जो सैटलमेंट के पूर्व व ...श्चात् 32.05 बीघा भूमि में काबिज काश्त है। उक्त भूमि को गलत इन्द्राज से अप्रार्थीगण के बेचान या ...न्य किसी प्रकार के हस्तान्तरण से तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल से प्रार्थीगण रूकवाने का ...धिकारी है, लिखना सर्वथा गलत है बल्कि अप्रार्थी स0 2 के प्रिसिंपल विक्रेता को प्रार्थीगण के पिता द्वारा 1/48 वां हिस्सा बेचान करने से अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में 32.05 बीघा भूमि आती है जो अप्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे अप्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है व अप्रार्थी सं0 2 को अपूरणीय क्षति हो रही है व प्रार्थीगण किसी प्रकार से अप्रार्थीगण को बेचान, बक्शीश, रहन, हस्तान्तरण रूकवाने का अधिकारी नही है न ही कोई प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। पद सं0 8 के जवाब में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई ... दृष्टया मामला नही है। प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का यह लिखना है कि प्रार्थीगण सम्पत 2012 से वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है लिखना गलत है। परन्तु यह लिखना गलत है कि सैटलमेंट की त्रुटि से एवं उक्त अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्टियां की है जो प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सैटलमेंट के पूर्व अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होने से पक्षकारों के आपसी बंटवाडा से सैटलमेंट अधिकारी ने अलग अलग पर्चा लगान कायम कर खातेदारी की थी, जो प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य कतई नही हो सकती। इससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि यदि अप्रार्थीगण को विधि विरूद्ध हस्तान्तरण करने से नही रोका जाता है तो प्रार्थीगण को विधि विरूद्ध हस्तान्तरण करने से रोका नही जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी लिखना सर्वथा गलत है। बल्कि अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को बेचान हस्तान्तरण करने से रोका जा सकता है। अतः अप्रार्थी द्वारा विधिवत् अपने खातेदारी अधिकारो को हस्तान्तरण करने से रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में भी नही आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह लिखना कि अपने संवेधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा सर्वथा गलत है अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि को बेचना करने से प्रार्थीगण को कोई संवैधानिक अधिकारों से वंचित नही होना पड़ेगा। बल्कि अप्रार्थीगण को विधि विरूद्ध रोका जाता है तो प्रार्थीगण को संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के प्रिसिंपल विक्रेताओ ने वक्त सैटलमेंट सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष माफिक कब्जा काश्त अपनी अपनी स्वतंत्र सहमति से पृथक पृथक लगान कायम करवाया था एवं तब से उसी माफिक काबिज काश्त चले आ रहे है। उसी माफिक ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। सैटलमेंट अधिकारियों ने पूर्ण जांच पड़ताल एवं दस्तावेजी आधारो पर समस्त खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से इन्द्राज किये थे। उक्त राजस्व इन्द्राजों से प्रार्थीगण पाबंद है। इसके विपरित अप्रार्थी सं0 2 से 5 के प्रिसिंपल विक्रेताओं के नाम भूमि माफिक बंटवाडा व अधिकार जितनी कब्जा काश्त की थी, वह सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के प्रिसिंपल विक्रेताओं के नाम दर्ज नही हुई है। प्रार्थीगण का कब्जा कम भूमि पर होते हुए भी आपसी सहमति से सही दर्ज किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 ने जवाब प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर मौजा सोजत चक न0 1 के खाता संख्या 1896 व 1897 की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 2 का 1/24 वां हिस्सा व खाता सं0 1716 सम्पूर्ण हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का होने से एवं अप्रार्थी संख्या 3 का खाता सं0 1896 व 1897 में वर्णित कृषि भूमि में 1/48 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 220 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा एवं खाता सं0 827 की कृषि भूमि में सम्पूर्ण अप्रार्थी सं0 3 की एवं अप्रार्थी संख्या 4 खसरा नम्बर 1897 1/48 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 1711 में वर्णित खसरान की भूमि मे 1/4 हिस्सा व खाता स0 1905 में वर्णित खसरान की भूमि में 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 1712 में वर्णित खसरान की भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 का खाता संख्या 1897 की कृषि भूमि में वर्णित खसरान की भूमि में 1/24 वां हिस्सा व खाता संख्या 1712 में वर्णित खसरान की भूमि में 1/2 हिस्सा व 1905 में वर्णित खसरान की भूमि में 1/4 हिस्सा व 1711 में वर्णित खसरान की भूमि में 1/4 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। अप्रार्थी ने उक्त आराजीयात अपने प्रिसिपल विक्रेताओ से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त

कृये है। अप्रार्थी 2 से 5 उपरोक्त खसरान भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिनके खातेदारी अधिकारो को रोका जाना न्याय संगत नही है। न ही प्रार्थीगण का कोई विधिक अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल कर सकते है न ही उक्त भूमि को हस्तान्तरण, रहन बेचान इत्यादि करने के अपने अधिकारो से रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त है। अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खर्चा हर्जा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

वहस वकुलाय सुनी गई। वहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्व प्रा0 पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जवाव में वहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र तथा दस्तावेजात के आधार पर प्रा0 पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाव प्रा0पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा वहस प्रा0 पत्र वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो, तथ्यो स्थितियो परिस्थितियो का मूल वाद में प्रस्तुत जबाव दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभय पक्ष रेकर्ड पर लेकर उभयपक्षों के हक अधिकारों का वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेंगा। तथापि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति **(Status Que)** बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 84, 99, 99/1, 99/1/1, 99/1/2, 103, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, कुल किता खसरा 13 कुल रकवा 1538 बीघा 18 बीस्वा सैटलमेंट के दौरान उपरोक्त पुराने खसरा की कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर कायम किये गये जो खाता संख्या 1896 खसरा नम्बरान 543, 544, 545, 546, 547, 548, कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.3800 हैक्टर, खाता संख्या 1897 खसरा नम्बर 339, 365, 366, 368, 416, 468, 469, 470 कुल खसरा 09 कुल रकबा 21.5800 हैक्टर, खाता संख्या 637 ख0नं0 276, 445, 446 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.8200 हैक्टर, खाता संख्या 657 खसरा नम्बर 270, 287, 349, 421, 457, 462 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.61 हैक्टर, खाता संख्या 1301 खसरा नम्बर 437 रकबा 0.8400 हैक्टर, खाता संख्या 1716 खसरा नम्बर 270/1, 288, 350, 430, 457/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.3200 हैक्टर, खाता संख्या 220 खसरा नम्बर 283, 284, 340, 344, 422, 455, 460 कुल खसरा 07, कुल रकबा 6.57 हैक्टर, खाता संख्या 226 खसरा नम्बर 267, 424, 429 कुल खसरा 03, कुल रकबा 2.82 हैक्टर, खाता संख्या 227 खसरा न0 447, 448 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.86 हैक्टर, खाता संख्या 327 ख0न0 268, 286 419, 433 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.98 हैक्टर, खाता संख्या 459 ख0न0 271, 272, 289, 290, 341 से 344, 454, 463 कुल खसरा 10 कुल रकबा 9.91 हैक्टर, खाता संख्या 775 ख0न0 280, 282, 347, 348, 441, 442, 458, 464 कुल खसरा 08 कुल रकबा 7.32 है0 खाता संख्या 1359 खसरा संख्या 275, 427 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.02 है0, खाता संख्या 1651 खसरा संख्या 345, 346, 450, 451, 459, 465 कुल खसरा 06 कुल रकबा 6.59 है0, खाता सख्या 1711 कुल रकबा 269, 291, 449, 452, 453 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.17 है0, खाता संख्या 1712 खसरा संख्या 418, 434 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7400 है0, खाता संख्या 1903 खसरा 277, 285 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.45 है0, खाता संख्या 1905 खसरा संख्या 278, 351, 352, 461 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.74 है0, खाता संख्या 776 खसरा सं0 266, 428, 432 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.72 है0 खाता संख्या 1464 खसरा स0 417, 435 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.68 है0 खाता संख्या 1570 ख0स0 420 रकबा 0.95 है0, खाता संख्या 1652 खसरा सं0 431 रकबा 0.81 है0, खाता संख्या 1490 ख0स0 426

कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.76 है0. खाता संख्या 1236 ख0न0 279, 425, 438 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.80 है0 खाता सं0 827 खसरा न0 440 रकबा 0.97 है0. खाता संख्या 68 ख0न0 374, 375 कुल रकबा 1.88 है0. खाता सं0 110 ख0न0 358 रकबा 2.46 है0. खाता न0 224 ख0न0 397, 398, 399, 412, 413, 414, 472, 473, 556, 562, 568 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13.10 है0. खाता सं0 230 ख0सं0 403, 404, 405, 479 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.52 है0. खाता सं0 234 ख0सं0 471, 558, 559, 560, 570, 571, 572, 573, 599 कुल खसरा 09 कुल रकबा 03 है0 खाता सं0 235 ख0सं0 381, 382, 383, 384, 415, 480, 481, 549, 551, 561, 569 कुल खसरा 11 कुल रकबा 14.6 है0 खाता सं0 570 ख0सं0 376 रकबा 1.95 है0. खाता सं0 578 खसरा सं0 373 रकबा 2.15 है0. खाता सं0 869 ख0सं0 392, 393, 396, 406, 407, 408, 476, 477, 555, 563, 567 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13 है0. खाता सं0 936 ख0सं0 370, 372 कुल ख0 02 कुल रकबा 2.18 है0 खाता सं0 957 ख0सं0 387, 388, 389, 390, 409, 410, 411, 478, 554, 564, 566 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.98 है0. खाता सं0 1872 ख0सं0 385, 386, 552, 557 खसरा 04 कुल रकबा 6.17 है0. खाता स0 236 ख0न0 354 रकबा 2.51 है0 खाता सं0 603 ख0सं0 394, 395 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.36 है0. खाता सं0 868 ख0सं0 355 रकबा 2.55 है0. खाता सं0 1281 खसरा 353 रकबा 1.73 है0. खाता सं0 1298 ख0सं0 357 रकबा 2.27 है0. खाता सं0 1440 ख0सं0 356 रकबा 2.46 है0. खाता सं0 1507 ख0सं0 391, 394/1, 400, 401, 402, 474, 475, 553, 565 कुल खसरा 09 कुल रकबा 12.72 है0. खाता सं0 1834 ख0सं0 353/1, 377, 378, 379, 380, 597 कुल खसरा 06 कुल रकबा 5.306 हैक्टर भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी